न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 29 सन 2020

अनवान :–

1. प्रवेश कुमार 2. अनुज कुमार नाबालिग पुत्र धनाराम जरिये संरक्षिका माता सुन पत्नी धनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. धनराज उर्फ धनाराम पुत्र ताराचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रामीदेवी पत्नी ताराचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 30/09/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्व गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक भूमि में से 2.058हैक गैरसायल न0 1 एवं 2.819हैक भूमि गैरसायला संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि सायला व गैरसायलान की दादालाई भूमि है जिसमें सायलान व गैरसायलान का जन्म से हक हिस्सा है जो सायलान के पिता गैरसायल न0 1 व सायलान की दादी गैरसायला संख्या 2 के नाम से दर्ज हो गई है

गैरसायल संख्या 1 ,2 समस्त भूमि अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है जिससे सायलान अपने हकों से वंचित हो जावेगे जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायल संख्या 1 ,2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक में से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 2.058हैक व गैरसायला संख्या 2 के नाम 2.819हैक भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरित नही करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायला संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक में से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 2.058हैक व गैरसायला संख्या 2 के नाम 2.819हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 धनराज पुत्र ताराचन्द का देहान्त हो चुका है तथा गैरसायल संख्या 1 की मृत्यू के बाद सुमन पत्नी धनराज ने अपने भतीजे पवन कुमार से विवाह कर लिया है तथा गैरसायल संख्या 1 की मृत्यू होने के उपरान्त सायलान विरास्तन नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा पाने के लिये स्वतन्त्र है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उतरदाता संख्या 2 के नाम भूमि नही है उतरदाता संख्या 2 /गैरसायल संख्या 2 के वर्तमान रिकार्ड में किसी प्रकार की टिनेन्ट ही नही है तो सायलान गैरसायल संख्या 2 को किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है चलने योग्य नही है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार गैरसायल संख्या 1 का देहान्त हो चुका है इसलिये गैरसायल संख्या 1 को तल्बी नही होनी है गैरसायल संख्या 2 का जबाब शामिल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक भूमि में से 2.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

058हैक्‍ गैरसायल न0 1 एवं 2.819हैक्‍ भूमि गैरसायला संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि सायला व गैरसायलान की दादालाई भूमि है जिसमें सायलान व गैरसायलान का जन्म से हक हिस्सा है जो सायलान के पिता गैरसायल न0 1 व सायलान की दादी गैरसायला संख्या 2 के नाम से दर्ज हो गई है

गैरसायल संख्या 1 ,2 समस्त भूमि अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है जिससे सायलान अपने हकों से वंचित हो जावेगे जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायल संख्या 1 ,2 को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक्‍ में से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 2.058हैक्‍ व गैरसायला संख्या 2 के नाम 2.819हैक्‍ भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरित नही करे।

गैरसायल संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरोते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक्‍ में से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 2.058हैक्‍ व गैरसायला संख्या 2 के नाम 2.819हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 धनराज पुत्र ताराचन्द का देहान्त हो चुका है तथा गैरसायल संख्या 1 की मृत्यू के बाद सुमन पत्नी धनराज ने अपने भतीजे पवन कुमार से विवाह कर लिया है तथा गैरसायल संख्या 1 की मृत्यू होने के उपरान्त सायलान विरास्तन नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा पाने के लिये स्वतन्त्र है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उतरदाता संख्या 2 के नाम भूमि नही है उतरदाता संख्या 2 /गैरसायल संख्या 2 के वर्तमान रिकार्ड में किसी प्रकार की टिनेन्ट ही नही है तो सायलान गैरसायल संख्या 2 को किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है चलने योग्य नही है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 47/47 की कुल 19.7150हैक्‍ भूमि में से गैरसायल संख्या 1 धनराज एवं अन्य काश्तकारो के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है गैरसायला संख्या 2 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में कोई भूमि नही है।

गैरसायल संख्या 1 धनराज का देहान्त प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 17.12.2017 को देहान्त हो चुका है अर्थात सायलान जो धनराज के वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकित है ने अपने मृतक पिता के विरूद्व वाद /प्रार्थना पत्र पेश किया गया है मृतक के विरूद्व प्रस्तुत वाद /प्रार्थना पत्र में सायलान को किसी भी प्रकार अनुतोष नही दिया जा सकता है।

सायलान ने अपने पिता धनराज की मृत्यू हो जाने का तथ्य छुपाकर एवं गैरसायल संख्या 2 की पुरानी एवं अप्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की जाकर न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है अर्थात सायलान क्लीन हैण्ड से न्यायालय मे नही आये है।

सायलान ने वाद /प्रार्थना पत्र मृतक एवं जमाबन्दी में किसी भी प्रकार का टिनेन्ट नही के विरूद्व प्रार्थना पेश किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान का प्रार्थना पत्र मृतक काश्तकार एंव ऐसे काश्तकार जो वर्तमान मे किसी प्रकार का टिनेन्ट नही के विरूद्व पेश करने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 20.03.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/202 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर